उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन लिमिटेड

(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)

U.P. POWER CORPORATION LIMITED

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

संख्या: 232 –कार्य / चौदह–पाकालि / 2010–92–के / 2009 दिनांक: मार्च 04, 2010

फैक्स

प्रबन्ध निदेशक,
मध्यांचल / दक्षिणांचल / पश्चिमांचल / पूर्वान्चल,
विद्युत वितरण निगम लि0,
लखनऊ / आगरा / मेरठ / वाराणसी,
केस्को–कानपुर / ट्रान्सको–लखनऊ।

विषय :–शासकीय निर्माण कार्यों हेतु ठेकेदारों में अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के ठेकेदारों को आरक्षण प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक कार्पोरेशन के पत्रांक–1068–कार्य–14 / पाकालि / 2009–92–के / 2009 दिनांक 03.9.2009 के अनुक्रम में लोक निर्माण, अनुभाग–07 उ0प्र0 शासन के सं0–669 / 23–7 –2010–25(सा0) / 2009 दिनांक 06.02.2010 की प्रति प्रेषित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण में दिये निर्देशों के अनुसार नियमानुसार कार्यवाही अपने स्तर से कराने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोपरि।

भवदीय,
4/3/2010
(अशोक कुमार गुप्ता)
उपसचिव (कार्य)

(2)

तुरन्त

संख्या– 669/23–7–2010–25(सा0)/09

प्रेषक,

एन0के0एस0 चौहान
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास)
एवं विभागाध्यक्ष,
लो0नि0वि0, उ0प्र0 लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग–7

लखनऊ:दिनॉक 06 फरवरी, 2010

विषय:–शासकीय निर्माण कार्यों हेतु ठेकेदारी में अनुसूचित जाति/जन जाति के ठेकेदारों को आरक्षण प्रदान करते हुए लागत कार्य की सीमा बढ़ाये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया शासन के आदेश संख्या–2057/23–7–2009–25(सा0)/2009, दिनांक 30 जून, 2009 का संदर्भ ग्रहण करें, उक्त के कम में निर्गत की गई शासनादेश संख्या–425/23–7–2010–25(सा0)/2009, दिनांक 29.01.2010 की प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश की प्रतियां समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी एवं समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश सहित लो0नि0वि0 से संबंधित समस्त अधिकारियों को अपने स्तर से वितरित/उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,

(एन0के0एस0 चौहान)
संयुक्त सचिव।

37.98 प्र0अ0 (विकास)
15/2/2010

सं0 स0 (कार्य)
04/3/10

अधीक्षण अभियन्ता (कार्य)/आ0 कार्य० संयुक्त
कृपया तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित करें हेतु पत्र तत्काल
4/3/10.

AT. go

प्रेषक,

वी०के० शर्मा,
मुख्य सचिव,
उ०प्र० शासन।

संख्या– 425 /23–7–2010–25(सा०)/...

सेवा में,

1– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2– समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3– समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

लोक निर्माण अनुभाग–7

लखनऊ:दिनॉक,29 जनवरी, 2010

विषयः–शासकीय निर्माण कार्यों हेतु ठेकेदारी में अनुसूचित जाति/जन जाति के ठेकेदारों को आरक्षण प्रदान करते हुए लागत कार्य की सीमा बढ़ाये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया शासन के आदेश संख्या–2057/23–7–2009–25(सा०)/2009, दिनांक 30 जून, 2009 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा रू० पॉच लाख तक की लागत के कार्यों के सम्पादन हेतु अनुसूचित जाति/जन जाति के ठेकेदारों को आरक्षण प्रदान किये जाने की व्यवस्था की गई थी।

2– उक्त के अनुक्रम में सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश में निर्धारित की गई धनराशि रूपये पॉच लाख को बढ़ाकर एतद्द्वारा रू0–25.00 लाख (रूपये पच्चीस लाख मात्र) की जाती है।

3– उक्त व्यवस्था तात्कालिक प्रभाव से लागू मानी जायेगी।

आवक सं० 37-प्र.स. कैम्प प्र०अ० (विकास)
दिनांक 15/2/2010

भवदीय,

वी०के० शर्मा
मुख्य सचिव।

संख्या– 425 (1)/23–7–2010–25(सा०)/2009, तद्दिनॉक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– प्रधान महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम एवं महालेखाकार (लेखा परीक्षा) द्वितीय, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम एवं द्वितीय, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
3– कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
4– महानिदेशक, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो, उत्तर प्रदेश।
5– निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश शासन।
6– निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश।
7– निदेशक, सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश।
समस्त अनुभाग, उत्तर प्रदेश सचिवालय।

आज्ञा से,

(कपिल देव)
प्रमुख सचिव।

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष
लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश

पत्रांक 47 एम.टी.जी./60 एम टी/08 **दिनांक : 16.2.2010**

1– **प्रतिलिपि समस्त क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता,** लो०नि०वि०, उ०प्र० को इस निर्देश के साथ कि भविष्य में तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।

2– मूल पत्र ... लो०नि०वि० को उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु।

16/2/10
(त्रिभुवन राम)
प्रमुख अभियन्ता (विकास)
विभागाध्यक्ष